

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय शिवकर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 09.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, शिवकर पर पत्रावली पेश हो।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड कार्यालय, बाड़मेर

09.10.2021

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय शिवकर राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 253 रकबा 00.02 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरी, खसरा नंबर 1239/254 रकबा 7.00 बीघा किस्म बारानी सोयम मौजा अजबनगर के खसरा नंबर 32 रकबा 1.08 बीघा किस्म गै.मु. टांका, खसरा नंबर 33 रकबा 0.17 बिस्वा किस्म गै.मु. टांका, खसरा नंबर 34 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गुडाल, खसरा नंबर 1249/35 रकबा 208.06 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 253 रकबा 00.02 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरी, खसरा नंबर 1239/254 रकबा 7.00 बीघा किस्म बारानी सोयम मौजा अजबनगर के खसरा नंबर 32 रकबा 1.08 बीघा किस्म गै.मु. टांका, खसरा नंबर 33 रकबा 0.17 बिस्वा किस्म गै.मु. टांका, खसरा नंबर 34 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गुडाल, खसरा नंबर 1249/35 रकबा 208.06 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र शिवकर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 गोरधरसिंह पुत्र रिडमलसिंह जाति राजपूत निवासी शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर		1 करमचन्द्र पुत्र जोधराज जाति जैन 2 झीमोदेवी पत्नी छगनाराम जाति माली 3 हुकमाराम पुत्र तुलछाराम जाति माली निवासी शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर 4 थानाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट 5 ताजाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट 6 हनुमानराम पुत्र खेराजराम जाति जाट 7 डुंगराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट 8 रामाराम पुत्र पुराराम जाति लोहार 9 जुगताराम पुत्र बीजाराम जाति जाट 10 तेजाराम पुत्र बीजाराम जाति जाट 11 आसुराम पुत्र महेन्द्राराम जाति रावणा राजपूत निवासी अजब नगर तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-112/2021 दिनांक-09.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 253 रकबा 00.02 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरी, खसरा नंबर 1239/254 रकबा 7.00 बीघा किस्म बारानी सोयम मौजा अजबनगर के खसरा नंबर 32 रकबा 1.08 बीघा किस्म गै.मु. टांका, खसरा नंबर 33 रकबा 0.17 बिस्वा किस्म गै.मु. टांका, खसरा नंबर 34 रकबा 0.03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गुडाल, खसरा नंबर 1249/35 रकबा 208.06 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक- 09/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/5070-SOB1

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी गोरधरसिंह पुत्र रिडमलसिंह जाति राजपूत निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण करमचन्द्र पुत्र जोधराज वगैरह जातियान जैन/माली/जाट/लोहार/रावणाराजपूत निवासीयान अजब नगर (शिवकर) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर